HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3733/2023

Smt. Saroj Meena W/o Late Shri Umesh Meena and D/o Late Munshiram, aged 31 Years, R/o C/o Munshiram Meena 6 P 367, Shyam Nagar Bheru Khejda, P.S Harmada, Amer, Distt. Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Smt. Kalavati Devi Suthar W/o Shri Hanumanram Suthar, Aged 63 Years, R/o Sutharo Ki Gali Bhinasar, P.S. Ganga City At present Hariyana Hotel Ke Samne, Ward No.65, P.S. Kotgate, Distt. Bikaner. (Owner of Vehicle Bus No. RJ-07-PA-9757).
2. United Insurance Company Ltd., Through Branch Manager, Claim Hub Sappire Building, 4 No. Dispensary Ke Samne, Ajmer Road, Sodala, Jaipur. Time Period 20-09-2019 to 19-08-2020 (Insurer Vehicle Bus No. RJ-07-PA-9757).

----Respondents/Non Claimants

3. Omprakash Meena S/o Sayara Ram, R/o Gali No.9 Near Ramesh General Store, Rampura Basti, P.S. Naya Shahar Bikaner, Distt. Bikaner.

----Performa Respondents/Non Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Pankaj Shrama, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manish Parashar, Adv. for insurance company

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

14/11/2025

1. अपीलार्थिया सरोज मीना द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, प्रिटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर, जिला जयपुर (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–191/2022 (213/2020), श्रीमती सरोज मीणा बनाम श्रीमती कलावती

व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2023 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया द्वारा अधिकरण के समक्ष, उमेश मीणा की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,01,50,000/– रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याचीगण को कुल 12,23,840/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय 5,850/– रूपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि मृतक वक्त घटना कण्डक्टर का कार्य करके 20,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा कि अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थिया के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थिया की ओर से यह अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 18.11.2019 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 30 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को वक्त घटना कण्डक्टर का कार्य कर 20,000/- रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए मृतक की मासिक आय 225/- रूपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 5,850/- रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिन की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 225/- रुपये, तद्नुसार मासिक आय 6,750/- रुपये होती है। अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जो उचित प्रतीत होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्षीय निर्धारित की है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 6,750/- रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 6,750/- रुपये का 40 प्रतिशत 2,700/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 9,450/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर दो आश्रित माने जाकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के पेटे 1/3 भाग की कटौती की गई है, जो उचित है। मृतक की मासिक आय 9,450/- रुपये का 1/3 भाग 3,150/- रुपये होता है, जिसे मृतक की निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 6,300/- रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला**

RAJASTHAN HIGH COURT

वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 17 के गुणक प्रयोग किया गया है, जो उचित है।

9. तद्नुसार मृतक की निर्धारित आय 6,300/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 6,300 x 12 x 17 = 12,85,200/– रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी अपीलार्थिया सरोज मीणा को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 मृतक के पिता (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रूपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य : (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य : (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये तथा मृतक के पिता अप्रार्थी संख्या–3 (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये (कुल 96,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

RAJASTHAN HIGH COURT

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाई गयी है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/– रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को सम्पदा की हानि के मद 15,000/– रूपये की राशि दिलवाई गयी है। अतः इस मद में भी हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/– रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थिया सरोज मीणा व अप्रार्थी संख्या 3 ओमप्रकाश मीणा (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	12,85,200/– रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	96,000/– रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000/– रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000/– रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	14,17,200/– रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	12,23,840/– रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,93,360/– रुपये

14. तदनुसार अपीलार्थिया श्रीमती सरोज मीणा की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया श्रीमती सरोज मीणा व अप्रार्थी संख्या 3 ओमप्रकाश मीणा (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) को 12,23,840/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 14,17,200/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थिया सरोज मीणा व अप्रार्थी संख्या 3 ओमप्रकाश मीणा (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित

किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया सरोज मीणा व अप्रार्थी संख्या 3 ओमप्रकाश मीणा (प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट) प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस आदेश द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तद्नुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

17. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

18. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /106s